

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

कुलदीप सिंह बनाम रातकमार आदि

क्रियम मुकदमा 148 (ए) सीपीसी नम्बर 09 सन 2024

सीपीसीएमएस नम्बर 2024 / 278

हुम या कार्यवाही पत्र इतिशियन्स जिन

तामिल  
हुकम

नम्बर 1  
तामिल अहकाम  
ती इस हुकम  
की तामीन व  
तामि हुक

20.08.2024

प्राथमिक कुलदीप सिंह पुत्र मुरादिता सिंह त्रिति तरखान विवाही  
चक्र 4 एम तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर आदि की ओर से  
अधिवक्ता श्री सतीश अरोडा के द्वारा कैंवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा  
148(क) सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि चक्र 32 एक क  
मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की भूमि क सम्बन्ध म  
कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा  
न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया  
जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित  
किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए  
पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध में कोई दावा या स्थगन  
प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार  
सुरक्षित रखी जावे।

नोटास  
353  
5/9/24

२९/११/२५

आज यह पत्रावली पेशी में ली गई प्राथमिक  
के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क)  
CPC पेश किए हुए 90 दिवस से अधिक  
का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली  
में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राथमिक  
का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC  
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली विनिर्णित  
होकर बाहर से का होकर दाखिल दफ्तर हो



14  
श्री करन...